न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 1027 सन 2020
अनवान :—

1. शिवम पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र बिरबलराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
2. इन्द्रावती पत्नी भूपसिंह जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

4. अनिकेत पुत्र महेन्द्रसिह जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
5. आयुष पुत्र महेन्द्र सिह जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :— 21/01/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 3 केएम के खाता संख्या 34 / 28 की कुल 5.3260हैक्ट व खाता संख्या 8 / 9 की कुल 0.999हैक्ट व रोही मोजा चक 19 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 4 / 6 की कुल 1.2780हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा बिरबलराम वल्द जोधाराम एवं प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माता के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के दादा बिरबलराम वल्द जोधाराम ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के नाम से करवाई गई थी वादी के दादा बिरबलराम वल्द जोधाराम का देहान्त हो चुका है जिनकी वसीयत के अनुसार बिरबलराम वल्द जोधाराम की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के हक हिस्सा की भूमि है तथा वादी के दादा बिरबलराम वल्द जोधाराम ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के माता प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यो का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 , 4 ,5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 ,2 वादी की माता/पिता ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के हक हिस्सा की भूमि अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि

नाम से दर्ज है वादी के दादा बिरबलराम ने अपने जीवनकाल में अपने नाम दर्ज भूमि की वसीयत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के पक्ष में करवाई गई थी बिरबलराम के देहान्त होने के बाद वसीयत अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के हक हिस्सा की भूमि है तथा वादी के दादा बिरबलराम पुत्र जोधाराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि उसके /प्रतिवादी संख्या 2 जो वादी की माता हे के नाम से करवाई गई थी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है जो सयुक्त परिवार की सम्पति है अर्थात पैतृक सयुक्त परिवार की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, ,4 ,5 का प्रतिवादी संख्या 2 का बराबर का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 2 जो वादी की माता है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के हक हिस्सा की भूमि है इसीप्रकार प्रतिावादी संख्या 1 ने भी निवेदन किया की वाद भूमि में जो भी हक हिस्सा है वह वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है एवं अपने कथनों के समर्थन में जरिये अधिवक्ता इकबाल जबाब भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया गया है।एवं प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 3 केएम के खाता संख्या 34/28 की कुल 5.3260हैक व खाता संख्या 8/9 की कुल 0.999हैक व रोही मोजा चक 19 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 4/6 की कुल 1.2780हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा बिरबलराम वल्द जोधाराम एवं प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माता के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के दादा बिरबलराम वल्द जोधाराम ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के नाम से करवाई गई थी वादी के दादा बिरबलराम वल्द जोधाराम का देहान्त हो चुका है जिनकी वसीयत के अनुसार बिरबलराम वल्द जोधाराम की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के हक हिस्सा की भूमि है तथा वादी के दादा बिरबलराम वल्द जोधाराम ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के माता प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यो का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 , 4 ,5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 ,2 वादी की माता/पिता ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के हक हिस्सा की भूमि अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 , 2 ,4 ,5ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायाचिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारो

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 3 केएम के खाता संख्या 34/28 की कुल 5.3260हैक व खाता संख्या 8/9 की कुल 0.999हैक व रोही मोजा चक 19 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 4/6 की कुल 1.2780हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा बिरबलराम वल्द जोधाराम एवं प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माता के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के दादा बिरबलराम वल्द जोधाराम के नाम से दर्ज थी जिन्होने अपने जीवनकाल में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के पक्ष में वसीयत करवाई गई थी बिरबलराम का देहान्त हो चुका वसीयत के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के हक हिस्सा की भूमि है तथा वादी के दादा बिरबलराम वल्द जोधाराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि में कुछ भूमि वादी की माता प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से करवाई गई थी जो पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसके नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की आय की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 , 4 ,5 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्तों के अनुसार यह साबित होता है कि सयुक्त परिवार की सम्पति एवं कृषि भूमि की आय से यदि कोई सम्पति या कृषि भूमि खरीद कर परिवार के मुख्या के नाम से करवाई जाती है तो उसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादी का कथन है प्रतिवाादी संख्या 1 ,2 वादी के माता /पिता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के हक हिस्सा की भूमि है जसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है की सयुक्त परिवार की आय एव पैतृक सम्पति की आय से खरीद/अर्जित की गई सम्पति भी पैतृक सम्पति की श्रेणी आती है अर्थात परिवार के सभी सदस्यो के हक हिस्सा की भूमि है वादी भूमि पैतृक सम्पति साबित होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है ।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 , 4 ,5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 केएम के खाता संख्या 34/28 की कुल 5.3260हैक जो बिरबलराम के नाम से दर्ज है मृतक बिरबलराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,5 दोनो बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है रोही मौजा चक 3 केएम खाता संख्या 8/9 की कुल 0.999हैक व रोही मोजा चक 19 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 4/6 की कुल 1.2780हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन कर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21/01/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. शिवम पुत्र भूपसिह जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 भूपसिह पुत्र बिरबलराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
2. इन्द्रावती पत्नी भूपसिह जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

4. अनिकेत पुत्र महेन्द्रसिह जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
5. आयुष पुत्र महेन्द्र सिह जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1027 सन 2020 निर्णय दिनांक– 21/01/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 केएम के खाता संख्या 34/28 की कुल 5.3260हैक जो बिरबलराम के नाम से दर्ज है मृतक बिरबलराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,5 दोनो बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है रोही मौजा चक 3 केएम खाता संख्या 8/9 की कुल 0.999हैक व रोही मोजा चक 19 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 4/6 की कुल 1.2780हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन कर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)